भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRA

D 570088

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : नगीना

राजेन्द्र कुमार

भारत INDIA NON JUDICIAL

₹ 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 570087

-2-

4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	:	भूमि खसरा संख्या-472
5.	नापने की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.171 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	:	सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
9.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कुछ नहीं
10.	बोरिंग/कूप/अन्य	:	कुछ भी नहीं

(प्रेमकुमार)

10000 रु. Rs 10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 MAR 2017

- 1 -

11.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 15,54,322/-
12.	मालियत	:	रु0 4,61,700/-
13.	स्टाम्प	:	रु0 1,05,350/-

चौहद्दी

<u>खसरा नं0-473</u>

पूरब	: खसरा संख्या-474
पश्चिम	: खसरा संख्या-472
उत्तर	: खसरा संख्या-444
दक्षिण	: खसरा संख्या-476

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
राम चन्द्र पुत्र मथुरा, निवासी–ग्राम–खुर्द मजरा–नटौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ।	रमेश कुमार पुत्र विपति, निवासी–ग्राम–जोखा हर्दे गांव, जिला–रायबरेली, उ०प्र०।

रमेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 886172

9 MAY

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम चन्द्र पुत्र मथुरा, निवासी–आनन्दखेड़ा मजरा–बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ , जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है,

तथा

राम चन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

256176

-6-

रमेश कुमार पुत्र त्रिपाठी, निवासी–ग्राम–जैतना रूपे मांव, जिला–रायबरेली, उ0प्र0 _ जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खाता संख्या–00285 खसरा संख्या– 473 रकबा 0.3420 हेक्टेयर में से 1/2 भाग वाली 0.171 हेक्टेयर, स्थित ग्राम–बरौना, परगना बिजनौर, तहसील

रमेश कुमार

रमेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 886175

य जिला लखनऊ के मालिक, काबिज व दाखिल है, जो विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित प्रत्यावर्षिक खतौनी फसली वर्ष 1419 से 1424 के खाता खतौनी क्रम संख्या-00308 के अनुसार विक्रेता का नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी अब विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की, व जमानत आदि से प्रभावित नहीं है, तथा

(signature)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 856174

आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है। अब मुस्तसन खुद विक्रेता के उसी कृषि भूमि खाता संख्या-00385 असरा संख्या- 473 रकबा 0.2420 हेक्टेयर में से 1/2 भाग यानी 0.121 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-कठौता, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी भाग व हक के खुद और न समझकर बिना किसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 264179

-9-

दुकान के. [illegible] मुबलिग रु0 15,04,322/- (रुपये पन्द्रह लाख चार हजार तीन सौ बाईस मात्र) में क्रेता [illegible] को [illegible] किया और कुल [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] क्रेता [illegible] को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी [illegible] पर आज से कायमी करा दिया। अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व वास्ता निस्बत आराजी

सुनील कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 886178

मबयूआ व मिलान मलकियत को क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगे, और अगर आराजी मबयूआ पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या उसमें किस्म, डिग्री, कमजोर, त्रुटि व [illegible] आदि की कमियां पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल मिलान धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

456177

09 MAY 201

जब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता खरीददार को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल—खारिज करा लेवें ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 886173

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआँ व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

(राकेश कुमार)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 633267

आराजी स्थित ग्राम बढ़ौला, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है, इसलिए उपरोक्त भूमि का रकबा 0.171 हेक्टेयर की मालियत सर्किल रेट रू0 27,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से रू0 4,61,700/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः नियमानुसार विक्रय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 635256

मूल्य पर ही 20 रुपया प्रति हजार की दर से रू0 1,05,350/- का स्टाम्प शुल्क अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SR 633245

विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आराजी किसी योजना न किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

यह कि उक्त प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

[illegible]

1,00,000.00	461,700.00	[illegible]	[illegible]

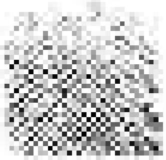

[illegible] 25/2/2012 [illegible]

अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

25/2/2012

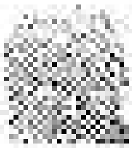

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

25/2/2012

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 572708

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में निष्पादित किया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

सुरेन्द्र कुमार

[illegible] 5527 [illegible] 2012 [illegible]

0101 [illegible]

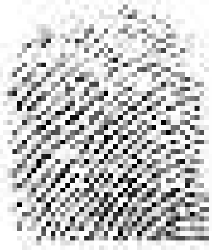

विवरण भुगतान

1. रू० 16.04.322/- (रूपया [illegible] लाख चार हजार तीन सौ बाईस मात्र) कतसिंग चेक नं०– 086136 दिनांकित 23.06.2012, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा– हजरतगंज, लखनऊ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 16.04.322/- (रूपया [illegible] लाख चार हजार तीन सौ बाईस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट:– पृष्ठ संख्या–17 पर मेरा हस्ताक्षर काले पेन से किया गया है।

दिनांक–23.06.2012
लखनऊ
गवाहान:–
1. (हस्ताक्षर)
(पंकज पाठक)
पुत्र श्री हरि शंकर पाठक,
नि० [illegible], लखनऊ।

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता

ड्राफ्टकर्ता
(राम [illegible])
[illegible]

प्रतिहस्ताक्षरी
(विमलेश [illegible])
एडवोकेट
हाईकोर्ट, लखनऊ

[illegible]

[illegible] No. [illegible] Year 2012 Book No. 1

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्राप्त क्रमांक →

क्रेता →

विक्रेता →

नजरी नक्शा

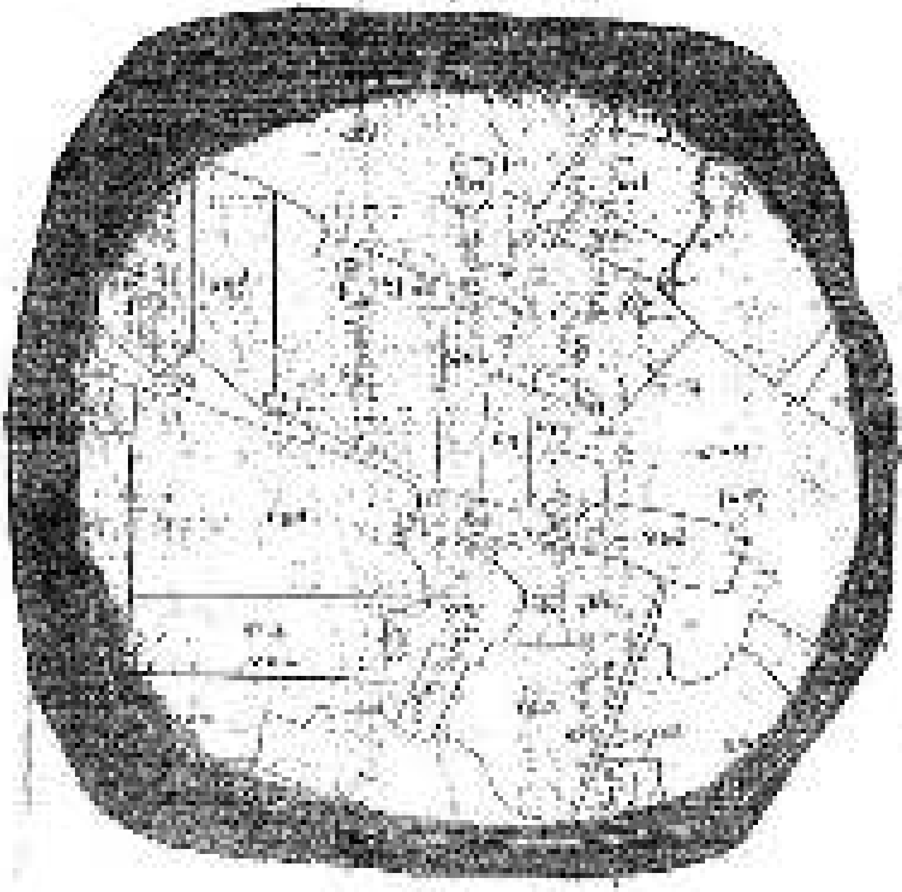

क्रेता

विक्रेता

[illegible] 23/05/2012 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 14221

[illegible] 281 [illegible] 316 [illegible] 9882

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible])

[illegible]

[illegible]